

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :- श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :- 03/2023

निर्णय दिनांक :-

प्रार्थीगण :-

1. गंगाबाई पत्नि राधेश्याम जाति-मेगवाल, आयु-वयस्क
निवासी-धणी, तहसील-बाली, जिला-पाली
2. ललित कुमार पुत्र राधेश्याम जाति-मेगवाल, आयु-वयस्क
निवासी- पाली, जिला-पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

:-प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :-

उपस्थिति:-

1. श्री गजेन्द्रसिंह राजावत प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शंकरलाल परिहार नायब तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय


दिनांक :- 16/5/2024

प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (2) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के साथ ग्राम सरथूर की खाता संख्या 23 जमाबंदी सम्वत् 2073-76, भू-नक्शा, प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सरथूर के खसरा नम्बर 713 रकबा 0.5000 हेक्टर किस्म बरानी दोयम भूमि में आने-जाने, कृषि औजार साधन, मवेशी आदि लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने से रास्ते हेतु भू-नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 1.5 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2023/472 दिनांक 28.06.2023 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 09.04.2024 को मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पेज लगातार 02 पर...



विवेक व्यास
16/5/2024
उपखण्ड अधिकारी
(ए.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

//2//


अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2024/700 दिनांक 09.04.2024 के जरिये पटवार हल्का बडौद एवं भू-अभिलेख निरीक्षक दादाई से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशांषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. यह कि मौजा ग्राम सरथूर पटवार मण्डल बडौद के खसरा नम्बर 713 रकबा 0.50 हेक्टर किस्म बारानी दायम वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
2. यह कि प्रार्थीगण वर्तमान में अपनी कृषि भूमि में आवागमन पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बडौद के खसरा नम्बर 8 में से ही करते है।
3. प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ते के लिए ग्राम बडौद के खसरा नम्बर 08 रकबा 1.25 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड में से 09 मीटर चौड़े रास्ते की मांग की है।
4. यह कि प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौके पर भूमि में कोई फसल/पेड नहीं है।
5. प्रार्थीगण को ग्राम बडौद के खसरा नम्बर 08 रकबा 1.25 हेक्टर किस्म गे.मु. पहाड में से 25 मीटर लम्बा एवं 09 मीटर चौड़ा कुल 225 वर्गमीटर भूमि का रास्ता दिया जाना उचित है।
6. यह कि ग्राम बडौद की असिंचित अन्य भूमि की दर 128358/- प्रति हेक्टर है जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते 225 वर्गमीटर भूमि की राशि रूपये 2888/- बनती है जिसकी दोगुना राशि 5776/- रूपये होती है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये मौके पर अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण को ग्राम बडौद के खसरा नम्बर 08 रकबा 1.25 हेक्टर सिवायचक भूमि में से ट्रेस नक्शा में अंकित लाल स्याही अनुसार खसरा नम्बर 277 गे.मु. रास्ता तक कुल 225 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम सरथूर के खसरा नम्बर 713 रकबा 0.50 हेक्टर किस्म बारानी दायम भूमि में आने - जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बडौद के खसरा नम्बर 08 रकबा 1.25 हेक्टर में से 225 वर्गमीटर नक्शा में दर्शित लाल स्याही अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है।

पेज लगातार 03 पर...



देसूरी
16.5.2024

सहायक कलेक्टर
(एत. डी.ओ.) देसूरी (राजकी.)

// 3 //

इस हेतु प्रार्थी को 5776/- रुपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान राजकोष में जमा करना होगा। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 225 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रुपये 5776/- प्रार्थीगण से जरिये चालान के राजकोष में जमा करवाई जाकर प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम सरथूर के खसरा नम्बर 713 रकबा 0.50 हेक्टर भूमि किस्म बा.दो. में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बडौद के खसरा नम्बर 08 रकबा 1.25 हेक्टर में से 225 वर्गमीटर रास्ता नक्शा में दर्शित लाल स्याही अनुसार दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।




(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.) देसूरी

निर्णय आज दिनांक 16/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।





16.5.2024
सहायक कलक्टर


सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.) देसूरी (पा.)

17. फाउंडेशन (संयुक्त)
 गड सखर - बडी
 गड - देवरी
 गड - 9 कमी = 20 मी.

C.S.
 16.5.2024

(स.स. नं. 1) देवरी (राज.)



12.5.2024

लक्ष्मीकवार देवरी
 मिथा - बाली (राज.)